छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या.
मुख्यालय, ''सहकार भवन''
प्लाट नं. 74, सेक्टर-24
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) 492002

Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Mydt.
Head Office,"Sahakar Bhavan"
Plot No. 74, Sector-24
Nava Raipur, Atal Nagar (C.G.) 492002

छ.ग./मुख्यालय/अटल नगर/क्रं. 3816 दि. 01/01/2024   C.G./H.O./Atal Nagar/No. .... Dt. ....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
समस्त

विशेष कर्तवस्थ अधिकारी / नोडल अधिकारी
छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या., नोडल
कार्यालय – रायगढ, सारंगढ़ एवं जशपुर

विषय :– धान उपार्जन वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कृषकों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेचे गये धान की बोनस राशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– कृषि विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्र 4685 / एफ–02 / 03 / धा.प्रो.यो. / 2023 / 14–2 दिनांक 21.12.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा धान उपार्जन वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में समर्थन मूल्य पर विक्रय किये गये धान पर कृषकों को 300 / – प्रति क्विंटल के मान से बोनस राशि देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के कृषकों में से कई किसानों के बैंक खाते, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता बंद हो जाने के कारण राशि का हस्तांतरण खातों में नहीं हो पा रहा हैं। दिनांक 25 दिसम्बर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बोनस राशि रिलीज की गई है, जिसमें ऐसे किसान जिनके खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाया है, ऐसे खातों का संशोधन / सुधार कार्य तहसील माडयूल से होना हैं। उक्त कार्य को पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जाना है जिससे सही कृषक को बोनस की राशि शीघ्रतापूर्वक अंतरित की जा सके।

1. ऐसे किसानों की सूची समिति के लागिन में उपलब्ध कराई जा रही है जिनके खातों में बोनस का भुगतान नही हो पाया है।
2. ऐसे समस्त किसानों को समिति के द्वारा सूचना दी जावे, ताकि किसान अपने त्रुटीपूर्ण खातों का सुधार शीघ्रतापूर्वक करा सकें।
3. **ऐसे समस्त किसानों के खातों में आवश्यक सुधार तहसीलदार माडयूल में किया जाना है। किसान सीधे तहसीलदार को खाता में सुधार हेतु आवेदन कर सकते है।**
4. यदि किसान को तहसील कार्यालय में आवेदन देने में कोई परेशानी हो तो ऐसे किसानो की सहायता हेतु किसानों का आवेदन पत्र नीचे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार समिति में प्राप्त कर समिति के माध्यम से भी संबंधित तहसीलदार को आवश्यक सुधार हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
5. त्रुटीपूर्ण खातों का सुधार –
   A. जिन किसानों के खातों में खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी.कोड का सुधार किया जाना है। उन किसानों से सही खाता क्रमांक आई.एफ.एस.सी.कोड सुधार के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जावे। आवदेन पत्र के साथ किसान के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति प्राप्त की जावे।
   B. जिन किसानों के खातें इनआपरेटिव हो गए है उनमें सुधार संबंधित बैंक शाखा स्तर से किया जाना है। उनके आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित बैंक शाखा से खातें का सत्यापन कराकर खाता को सक्रिय कराया जावे तथा खातें में आवश्यक सुधार कर खाते का करेंट स्टेटस की छायाप्रति भी किसान के आवेदन पत्र के

साथ प्राप्त की जावे। आवेदन पत्र के साथ कंडिका 'अ' में वर्णित दस्तावेज भी प्राप्त किया जावे।

6. क्रमांक 5 में समिति में आने वाले आवेदन पत्रों को समिति द्वारा दो प्रतियों में तैयार किया जावे प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में 1 प्रति में आवेदन पत्र सभी दस्तावेज संलग्न कर आवश्यक सुधार हेतु प्रस्तुत किया जावे।
7. तहसीलदार द्वारा समिति के माध्यम से प्राप्त आवेदन का परीक्षण एवं सत्यापन करने के पश्चात इसका निराकरण ऑन लाईन तहसीलदार माडयूल में किया जावेगा।
8. खातेदार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में – ऐसे किसान जिन्होनें वर्ष 2014–15 / 2015–16 में धान बेचा है एवं वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे किसानों के वैद्ध वारिस से बोनस राशि के भुगतान हेतु आवेदन पत्र **सीधे संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जावे।** आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न किये जावे।
   I. आवेदन पत्र
   II. कृषक का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
   III. वैद्ध वारिस का बैंक पासबुक की छायाप्रति
   IV. वैद्ध वारिस का आधार कार्ड की छायाप्रति
   V. बी–1 की छायाप्रति
   VI. अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति के संबंध में शपथ पत्र
9. तहसीलदार से ऑन लाईन निराकरण के पश्चात एन.आई.सी. के द्वारा किसान के खातें का पीएफएमएस से वैलिडेशन कराया जावेगा जिसके पश्चात एनआईसी द्वारा ऐसे खातों की भुगतान फाईल बैंक मुख्यालय को प्रदाय की जावेगी।
10. एनआईसी से भुगतान फाईल प्राप्त होने पर बोनस राशि का भुगतान बैंक मुख्यालय स्तर पर तत्काल किया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(के.एन.कान्डे)
प्रबंध संचालक

पृ.क.छ.ग./मुख्या/योजना/2024/3816'35'
रायपुर दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, सहकारिता विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक

प्रति,

तहसीलदार
तहसील ....
जिला .... (छ.ग.)

विषय :– <u>धान बोनस की बकाया राशि हेतु बैंक खाता में सुधार करने के संबंध में।</u>
द्वारा :– <u>आदिम जाति /सेवा सहकारी समिति मर्यादित ....</u>

महोदय

मेरे द्वारा वर्ष 2014–15/2015–16 में धान उपार्जन केन्द्र ....– आदिम जाति/सेवा सहकारी समिति .... में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है–

धान उपार्जन वर्ष	किसान का नाम, पिता का नाम	किसान कोड	बेची गई धान की मात्रा (क्विं.में)	बैंक खाता का विवरण		
				बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी कोड
2014-15						
2015-16						

पूर्व में दिये गये खाते के विवरण अनुसार खाता क्रमांक त्रुटीपूर्ण होने के कारण मुझे बोनस की भुगतान की गई राशि प्राप्त नहीं हुई है। मेरा सही बैंक खाता का विवरण नीचे दर्शाया गया है। कृपया मुझे मेरे सही खाते में बोनस राशि भुगतान करने का कष्ट करें। के. वाय.सी. हेतु मेरे आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

किसान का नाम, पिता का नाम	बैंक खाता का विवरण		
	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी कोड

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

<u>सहकारी समिति द्वारा सत्यापन</u>

मेरे द्वारा किसान श्री .... के आवेदन पत्र में दिये गये विवरण की जांच एन.आई.सी. के धान पोर्टल से की गई। किसान द्वारा धान का विक्रय किया गया है, किसान द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता का पासबुक से सत्यापन किया गया। विवरण निम्नानुसार है–

धान उपार्जन वर्ष	किसान का नाम, पिता का नाम	किसान कोड	बेची गई धान की मात्रा (क्विं.में)	संशोधन हेतु किसान द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता का विवरण		
				बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी कोड
2014-15						
2015-16						

दिनांक ....

समिति प्रबंधक